



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छग०/दुर्ग/चूप.-34/रायपुर

खान कोड: 38 एमपीआर 13031

दिनांक:- 29/07/2019

प्रति,

श्री बी० एल० रमानी, पट्टेदार,
मकान नं०- 399, सिन्धी कॉलोनी, स्टेशन रोड,
दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)-490001

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी नंदिनी खुदिनी चूनापत्थर खदान 3.525 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 26/06/2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री बी० एल० रमानी, पट्टेदार की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	<p>The following deviations have been found in the mine from the Modified Mining Plan vide DRG/LST/MPLN-286/NGP/2016/30//RPR, Raipur dated 10/08/2016 for the period of 2016-17 to 2018-19:</p> <p>Development: There was a proposal given for development and excavation of mineral/ore During F.Y. 2018-19: Pit No.1: In between local co-ordinates S10 to S55 and W75 to E20 Pit No.2: In between local co-ordinates N45 to N75 and W35 to E55</p> <p>Whereas, Mining is being done irregularly in several places without any approved proposal.</p> <p>No such proposal has been given in the earlier approved MMP for mining at 7.5 m barrier zone. Development and excavation was observed all along the lease boundary, and most of places 7.5m barrier zone has been mined out.</p> <p>Afforestation: There was a proposal for plantation of 600 nos. of plants during 2016-17 to 2018-19. Whereas, None of the plants have been planted.</p>
नियम संख्या 11(4)	<p>खनन पट्टा धारक आगामी 05 वर्ष की अवधि के लिए खनन कार्य करने के लिए खनन योजना को 05 वर्ष की अवधि समाप्ति, जिसके लिए इसे इससे पूर्व अवसर पर अनुमादित किया गया था, से कम से कम 180 दिन पहले पुनर्विलोकन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जो कि आज दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अनुमादित खनन योजना की अनुमोदन अवधि दिनांक 31/03/2019 को समाप्त हो चुकी है।</p>
नियम संख्या 23	<p>खनन पट्टा धारक, खनन योजना की प्रस्तुतिकरण, संशोधन और पुनर्विलोकन के समय, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष खनन योजना के एक घटक के रूप में खान बंद करने की एक प्रगतिशील योजना प्रस्तुत करेगा। जो कि आज दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p>
Rule 26 (2)	<p>A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2017-18 and 2018-19.</p>
नियम संख्या 27(1)	<p>खनन पट्टा धारक द्वारा, खनन योजना में निहित खान बन्द करने की प्रगतिशील योजना के आवश्यक और उचित कार्यान्वयन के लिए, यथास्थिति, एक वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया जायेगा। पूर्व में जमा की गई वित्तीय आश्वासन की अवधि दिनांक 31/03/2019 को समाप्त हो चुकी है।</p>
Rule 33	<p>Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2017-18 and 2018-19.</p>

कृ०पृ०प०..2.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर